



राजस्थान सरकार

No Mask-No Entry

अतिचार्यका

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजस्ट्रेट अराँई, जिला अजमेर

E-Mail: sdoarain@gmail.com

sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव

कैम्प कोर्ट काँला नाड़ा दिनांक 06.12.2020 काँगाँक राजववाड 08/2020

उनवान सूरजकरण बनाम पंचायत कालानाड़ा

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व (गुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.12(2) राज. 1/2020 दिनांक 24.09.2020 की पालना में नियत तिथि से पूर्व तलब की जाकर भाज दिनांक 06.12.2020 काँ कैम्प कोर्ट कालानाड़ा में पेश हुई वाषी उपर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाषी द्वारा उक्त पत्रावली में ग्राम नोनन्दपुरा स्थित कृषि भूमि खाला न. 18 में खसरा सं. 115 व 297/136 में सूरजकरण पुत्र गोइ हिस्सा 1/3 काँम खाती देह खातेदार के दिनांक 20.06.2020 को ~~खसरा~~ राजस्व कार्रवाई द्वारा सहवनाबरा खोले गये नामान्तरण सं. 593 काँ निरस्त करवा पुनः उपरोक्त भूमि काँ सूरजकरण पुत्र गोइ हिस्सा 1/3 काँम खाती करवाने बाबत पेश किया। हमारे द्वारा संलग्न दस्तावेजों व पत्तारी हल्ला रिपोर्ट काँ अवलोकन किया गया। पत्तारी हल्ला रिपोर्टनुसार ग्रामी की भूमि ग्राम नोनन्दपुरा पटवार हल्ला मोतीपुरा खाला सं. 18 खसरा सं. 115 व 297/136 हिस्सा 1/3 हिस्से में दिनांक 20.06.2020 को सूरजकरण पि. गोइ जाति जाट की विरामत काँ नामान्तरण सं. 593 खोला गया था। दौरान नामान्तरण सहवन से सूरजकरण पुत्र गोइ जाति खाती के खाला सं. 18 काँ भी नामान्तरण खोल लिया गया है। अतः संलग्न दस्तावेज व मजमे आम में ग्रामी को चुनने के बाद तथा पत्तारी हल्ला रिपोर्ट के आधार पर ग्रामी काँ प्रथम पत्र स्वीकार किया जाता है तथा नामान्तरण सं. 593 दिनांक 20.06.2020 को उपरोक्त वगैरे ग्रामी की भूमि ग्राम नोनन्दपुरा खाला न. 18 खसरा न. 115 में ग्रामी की हद तक शुन्य घोषित किया जाता है। तहसीलदार अराँई उम्मानुम्वर राजस्व रिपोर्ट के कमल दरामड करे। प्र.पत्र नं. 100/2020 है।



[Signature]
 शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 अराँई (अजमेर)

1. अपीलान्त की खातेदारी की भूमि ग्राम नोनन्दपुरा पटवार हल्ला मोतीपुरा में